संख्या-358/2021/1790/41-2021-34(बजट)/2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 05 जुलाई 2021**

विषयः- जनपद मथुरा के गोकुल में नन्द भवन पार्किंग के पास नये घाट के निर्माण तथा मुरलीघाट पर होली चबूतरा के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-874/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(29)/2019 दिनांक 24 जून 20211 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- **जनपद मथुरा के गोकुल में नन्द भवन पार्किंग के पास नये घाट के निर्माण तथा मुरलीघाट पर होली चबूतरा के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु** चयनित कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-165/2019/802/41-2019-34(बजट)/2019 दिनॉक 17 जून, 2019 द्वारा रू0 226.64 लाख (जी0एस0टी0 का उल्लेख नहीं) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 113.32 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी । तदनन्तर शासनादेश संख्या-159/2020/1563/41-2020-34(बजट)/2019 दिनांक 04 अगस्त 2020 द्वारा रू0 226.64 लाख +जी0एस0टी0 (वास्तविक देयता के आधार पर) की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुये द्वितीय किश्त के रूप में **रू0-20.00 लाख (रू0- बीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई। इसके तुरन्त बाद महानिदेशक पर्यटन के पत्र दिनांक 25-11-2020 एवं पत्र दिनांक-03-02-21 के अनुक्रम में प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-169.08 लाख +जी0एस0टी0 (वास्तविक देयता के आधार पर) निर्गत करते हुये शासनादेश संख्या-202/2021/570/41-2021-34(बजट)/2019 दिनांक 9 मार्च 2021 द्वारा प्रायोजना हेतु तृतीय किश्त के रूप में **रू0-33.82 लाख (रू0- तैंतीस लाख बयासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त की गई । तत्क्रम में महानिदेशक, पर्यटन द्वारा अभी तक अवमुक्त की गई धनराशि रू0- 167.14 लाख का उल्लेख करते हुये प्रायोजना का कार्य कुल धनराशि रू0-188.68 लाख (जी0एस0टी0 सहित) में पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत प्रायोजना हेतु देय अवशेष - जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। उक्त संदर्भ में निम्नांकित विवरणानुसार धनराशि व्यय होने का उल्लेख किया गया है:-

क्रमांक	व्यय का मदवार विवरण	धनराशि (लाख में)
01	सिविल कार्य पर व्यय धनराशि	163.36 लाख
02	1.5 प्रतिशत वास्तुविद शुल्क	2.45 लाख
03	2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी	3.27 लाख
	योग	169.08 लाख
	12 प्रतिशत जी0एस0टी0	19.60 लाख
	कुल योग	188.68 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत चालू प्रायोजना की अवशेष धनराशि (जी0एस0टी0) रू0-19.60 लाख (रूपये उन्नीस लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-165/2019/802/41-2019-34(बजट)/2019 दिनॉक 17 जून, 2019 , शासनादेश संख्या-159/2020/1563/41-2020-34(बजट)/2019 दिनांक 04 अगस्त 2020 एवं शासनादेश संख्या-202/2021/570/41-2021-34(बजट)/2019 दिनांक 9 मार्च 2021 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 ,शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(6) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रायोजना में अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-42उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषदपरिषद द्वारा मथुरा में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-358**/2021/1790/41-2021-34(बजट)/2019 तद्दिनॉक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी , उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
5- कोषाधिकारी ,मथुरा।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता ,मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- उप निदेशक,आगरा।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in